JALAUN POLICE

दिनांक- 25.09.2026

कोतवाली कालपी पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम उसरगाँव के देवपुरा माता मन्दिर में दिनांक 16/17-09-2026 की रात्रि में चोरी की घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, जिसमे एक अभियुक्त पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ, कब्जे से अवैध असलहा मय जिन्दा व खोखा कारतूस चोरी के 26 अदद घण्टे व करीब 12,000/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल चोरी करने के उपकरण इत्यादि बरामद।

अवगत कराना है कि वादी श्री अनुराग तिवारी द्वारा कोतवाली कालपी पर तहरीरी सूचना दी गयी कि कोतवाली कालपी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उसरगाँव में अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि के समय में देवपुरा माता मन्दिर से घण्टे तथा दानपात्र से लगभग 35,000/- रूपये चोरी कर लिये हैं। जिसके आधार पर कोतवाली कालपी पर मु0अ0सं0 213/26 धारा- 331(4)/305(D) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में जालौन पुलिस टीम द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कालपी के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। कोतवाली कालपी पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में शातिर अभियुक्त सन्दीप उर्फ नरेन्द्र कुमार पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम गौर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात गोली लगने से घायल हुआ तथा 02 अभियुक्तगण(बलराम एवं लाला) को घेराबन्दी कर हिरासत में लिया गया है । घायल अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अभियुक्तगण के पास से 26 अदद घण्टे व दानपात्र से चोरी किये रुपये करीब 12,000/- रुपये एवं चोरी करने के उपकरण (सब्बल, कटर, प्लास इत्यादि) व घटना में प्रयुक्त होण्डा मोटरसाइकिल बरामद की गयी।

उक्त पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सन्दीप उर्फ नरेन्द्र पुत्र रमेशचन्द उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम गौर थाना भोगनीपुर कानपुर देहात (घायल अभियुक्त)
2. बलराम पुत्र स्व0 लल्लू प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम गौर थाना भोगिनीपुर, कानपुर देहात
3. लाला उर्फ लालचंद पुत्र स्व0 नथ्थू उम्र करीब 65 वर्ष ग्राम अंडवा थाना बरौर जिला कानपुर देहात

पूछताछ का विवरण- प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया है दिनांक 16/17-09-2026 की रात्रि में हम लोगों ने ग्राम देवपुरा माता मन्दिर से घण्टे व दानपात्र से रुपये चोरी किये थे। अभियुक्तगण द्वारा औजार रखने के संबन्ध में बताया गया है कि चोरी के दौरान ताला तोड़ने व कुण्डा काटने के उद्देश्य से रखते हैं। चोरी व लूट से प्राप्त माल को अच्छे दामों में बेंच कर उसे आपस में बराबर-बराबर बांट लेते हैं।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

आपराधिक इतिहास संदीप उर्फ नरेन्द्र कुमार उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 273/17 धारा 380/411 भादवि थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

2- मु0अ0सं0 116/18 धारा 379/411 भादवि थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।

अन्य अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के थानो/जनपदों से की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध तमन्चा, 02 अदद खोखा कारतूस एवं 02 अदद ज़िंदा कारतूस।
2. 26 अदद छोटे व बड़े घंटे पीतल
3. 11,995/- रुपये नगद
4. घंटे व ताला तोड़ने वाले औजार
5. घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल होण्डा

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालपी मय पुलिस टीम।
2. प्रभारी स्वॉट/सर्विलांस मय टीम।